


15-9-22 पत्रावली फेशा / वकील ^{रज} कबीरगंज उपखण्ड।
३

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म तामील में
	<p> एक वाद पत्र नोटिस के आधार पर खारिज किया गया पुराना व मूल वाद पत्र निम्नलिखित होने के बाद इस सार्थक पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होने पर यह सार्थक पत्र सारणीक होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अंतरिम अर्थात् निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली वाद तत्पश्चात् तत्पश्चात् होकर होखे सुकरा है। </p> <p style="text-align: center;">  (अभिलाषा) उपखण्ड अधिकारी घड़साना </p>	